

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा**

**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)**

**पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :- 87/2022 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री प्रेम नारायण सुखवाल निवासी बनाम  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

1. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जहाजपुर

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थीगण

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

**निर्णय**

दिनांक : 30-11 .2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को दिनांक 07.08.2022 को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 262 दिनांक 03.11.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार, जहाजपुर से संबंधित होने से उक्त आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा कार्यालय के पत्रांक 382 दिनांक 08.08.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जहाजपुर को अंतरित किया गया।

2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब तैयार कर कार्यालय तहसीलदार, जहाजपुर के पत्रांक आरटीआई/2022/14 दिनांक 02.09.2022 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30-11 .2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलेट अधिकारी  
भीलवाड़ा